पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

दिनांक: 11.07.2024

नोटशीट

विषय: प्रवेश निरस्तीकरण (Cancellation)/आहरण (Withdrawal)/स्थानातंरण (Migration) हेतु शुल्क वापसी के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय उपरोक्त विषयानुसार दिनांक 04.07.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से माननीय प्रति-कुलपति जी की अध्यक्षता में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश निरस्तीकरण (Cancellation)/आहरण (Withdrawal)/स्थानातंरण (Migration) एवं शुल्क वापसी के सम्बन्धी में एक अत्यावश्यक बैठक उनके कक्ष मे संम्पन्न हुई जिसमें डॉ. महावीर अग्रवाल, माननीय प्रति-कुलपति, श्री मयंक अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, डॉ. प्रवीण पुनिया, कुलसचिव, सीए रिचा भगत, वित्ताधिकारी एवं डॉ. निर्विकार, उप-कुलसचिव उपस्थित रहे। **(बैठक कार्यवृत्त संलग्न)**

बैठक में प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानातंरण के सम्बन्ध में तथा यूजीसी के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन दिशा-निर्देशों (Ref : D.O. **No.F.2-7 1t2022 (CPP-II) (c-1 14s46)** Date : **12th June, 2024**) पर चर्चा हुई, विचार-विमर्श के पश्चात् शुल्क वापसी के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्तुति प्रदान की गयी:-

1. जो कोर्स विश्वविद्यालय विवरणिका में दिये जाने के बाद भी किसी कारण से संचालित नहीं किये जा सक रहे हैं, उनमें विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश निरस्त करने की स्थिति में संपूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। यह निर्णय विगत वर्ष के निर्णय से कुछ भिन्न है, क्योंकि वर्ष 2023-24 में कोर्स संचालित न करने की स्थिति में प्रोसेसिंग शुल्क रू 1000/- काट लिया गया था। बैठक में सर्वसम्मति थी कि उपरोक्त स्थिति में पूर्ण शुल्क वापस करना उचित है।
2. 30 सितम्बर, 2024 से पूर्व प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण की स्थिति में पूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उसके पश्चात् 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण की स्थिति में रू 1000/- प्रोसेसिंग फीस की कटौती कर बाकी शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसा यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
3. यदि विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश लेने के बाद उसी माह में विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो विद्यार्थी से उस माह का छात्रावास शुल्क (भोजन+आवास) काट लिया जाएगा।
4. एक माह से अधिक छात्रावास में रहने के बाद यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ता है तो उससे छः माह के छात्रावास शुल्क की कटौती की जाएगी तथा जिस माह में छात्रावास में रहते हुए भोजन लिया है तो उस माह की भोजन शुल्क की कटौती की जाएगी।
5. यदि विद्यार्थी ने षट्कर्म सामग्री, वेशभूषा प्राप्त की हो तो उक्त सामग्री के शुल्क की कटौती की जाएगी।
6. सामान्य रूप से प्रवेश वापस लेने के पश्चात् एक माह (30 दिन) में शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
7. उपरोक्त अनुसार यदि कोई बिन्दु सम्मिलित नहीं है तो यूजीसी दिशा-निर्देशों को अन्तिम माना जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित बिन्दुओं की स्वीकृति हेतु माननीय कुलपति महोदय जी के समक्ष सादर प्रेषित है।

(वित्ताधिकारी)

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)
डा० महावीर अग्रवाल
प्रति - कुलपति
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

दिनांक: 04.07.2024

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 04.07.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से माननीय प्रति-कुलपति जी की अध्यक्षता में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश निरस्तीकरण (Cancellation)/आहरण (Withdrawal)/स्थानातंरण (Migration) एवं शुल्क वापसी के सम्बन्धी में एक अत्यावश्यक बैठक उनके कक्ष मे संम्पन्न हुई जिनमें निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति रही।

1. डॉ. महावीर अग्रवाल, माननीय प्रति-कुलपति
2. श्री मयंक अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
3. डॉ. प्रवीण पुनिया, कुलसचिव
4. सीए रिचा भगत, वित्ताधिकारी
5. डॉ. निर्विकार, उप-कुलसचिव

बैठक के प्रारम्भ में वित्ताधिकारी सीए रिचा भगत ने बताया कि प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/ स्थानातंरण के आवदेन प्राप्त होने लगे हैं। अतः इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नीति निर्धारित कर ली जाए। उन्होनें प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यूजीसी के नवीन दिशा निर्देशों (Ref : D.O. **No.F.2-7 1t2022 (CPP-II) (c-1 14s46)** Date : **12th June, 2024**) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात् विचार विमर्श के पश्चात् प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण की स्थिति में शुल्क वापसी के लिए यूजीसी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्वीकृति प्रदान की गयी :-

1. जो कोर्स विश्वविद्यालय विवरणिका में दिये जाने के बाद भी किसी कारण से संचालित नहीं किये जा सक रहे हैं, उनमें विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश निरस्त करने की स्थिति में संपूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। यह निर्णय विगत वर्ष के निर्णय से कुछ भिन्न है, क्योंकि वर्ष 2023-24 में कोर्स संचालित न करने की स्थिति में प्रोसेसिंग शुल्क रू 1000/- काट लिया गया था। बैठक में सर्वसम्मति थी कि उपरोक्त स्थिति में पूर्ण शुल्क वापस करना उचित है।
2. 30 सितम्बर, 2024 से पूर्व प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण की स्थिति में पूर्ण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उसके पश्चात् 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रवेश निरस्तीकरण/आहरण/स्थानान्तरण की स्थिति में रू 1000/- प्रोसेसिंग फीस की कटौती कर बाकी शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसा यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
3. यदि विद्यार्थी छात्रावास में प्रवेश लेने के बाद उसी माह में विश्वविद्यालय छोड़ देता है तो विद्यार्थी से उस माह का छात्रावास शुल्क (भोजन+आवास) काट लिया जाएगा।
4. एक माह से अधिक छात्रावास में रहने के बाद यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय छोड़ता है तो उससे छः माह के छात्रावास शुल्क की कटौती की जाएगी तथा जिस माह में छात्रावास में रहते हुए भोजन लिया है तो उस माह की भोजन शुल्क की कटौती की जाएगी।
5. यदि विद्यार्थी ने षटकर्म सामग्री, वेशभूषा प्राप्त की हो तो उक्त सामग्री के शुल्क की कटौती की जाएगी।
6. सामान्य रूप से प्रवेश वापस लेने के पश्चात् एक माह (30 दिन) में शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
7. उपरोक्त अनुसार यदि कोई बिन्दु सम्मिलित नहीं है तो यूजीसी दिशा-निर्देशों को अन्तिम माना जाएगा।

(सीए रिचा भगत)
वित्ताधिकारी

(डॉ. निर्विकार)
उप-कुलसचिव

(डॉ. प्रवीण पुनिया)
कुलसचिव

(श्री मयंक अग्रवाल)
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
माननीय प्रति-कुलपति